वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी जनपद बदायूं के निर्देशानुसार गौकशी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बिसौली के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज व एसओजी प्रभारी के नेतृत्व मे एसओजी पुलिस टीम द्वारा गौकशी के समय 06 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार व गोकशी करने वाले उपकरण बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांकः 30.03.2024 की रात्रि को वजीरगंज/एसओजी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम बगरैन मे गौकशी की घटना से सम्बन्धित मुल्जिमान जिनके पास गौवध करने वाले उपकरण है जिससे गोकशी की घटना कर सकते है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा हतरा मनवा रोड के पास झाडियो की आड लेकर मुल्जिमानो का इन्तजार करने लगे कुछ देर बाद ग्राम हतरा की ओर से हाथो मे प्लास्टिक के कट्टे व थैले लेकर पाँच व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये। जिनको देखकर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही लोग है जिन्होने बगरैन मे गोकशी की थी। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गौकशी की घटना के अंजाम देने जा रहे 05 अभियुक्तगण 1.वसीम, 2-शारिक, 3- तफ्शीर, 4. हबीब, 5- कासिम को मौके पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के आधार पर जानकारी हुयी कि अभियुक्तगण 1-शानू पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज 2- राशिद उर्फ टुईया पुत्र हामिद अंसारी निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज उरैना अगेई के जंगल मे मो0सा0 से गौकशी करने जा रहे है । पुलिस टीम द्वारा दोनो अभियुक्तो को मोटर साइकिल से आते हुए देखा तो पुलिस टीम ने रुकने को इशारा किया जिसपर अभियुक्तगण ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये । पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ मे अभियुक्तगण पर फायर किये जिसमे अभियुक्त शानू पुत्र मेहदी हसन निवासी हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ के बांये पैर मे गोली लगने से घायल होकर गिर गया तथा का0 निखिल पवाँर भी अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर की गयी फायरिंग मे घायल हो गया । जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा अभियुक्त राशिद उर्फ टुईया उपरोक्त अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फायर करता हुआ फरार हो गया। अभियुक्त शानू उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व नाल मे फंसा एक खोखा व पास पडे 03 खोखा कारतूस तथा एक मो0सा0 स्पेलेन्डर काला रंग बिना नम्बर बरामद हुयी। अभियुक्तगण थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट मे वांछित थे।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0- 126/2024 धारा 307 आईपीसी व 3/25 1B(a) ए एक्ट पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दिनांक 26.03.2024 की रात्रि में 1.शानू 2- राशिद उर्फ टुईया, 3-.आसिफ , 4. कासिम उपरोक्त ने बगरैन बिसौली रोड पर शमशान घाट के पास आवारा घूम रहे गोवंशीय पशुओ की हत्या कर उनके माँस को वसीम, शारिक, तफ्शीर, हबीब उपरोक्त को बेचा गया। जिन्होने अपने गाँव मे बेच दिया था । आज रात फिर से इन सभी अभियुक्तगण का उरैना से आगे जंगल मे अगेई से आने वाले चकरोड के पास मिलकर जंगल मे घूम रहे आवारा पशु पकडकर काटने का प्लान था कि उससे पहले ही पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा जंगल मे घूमने वाले आवारा पशुओं की गौकशी करने का कार्य करते हैं। जिससे उन्हे अधिक लाभ प्राप्त होता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.वसीम पुत्र अच्छन अंसारी निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज बदायूँ।

2. शारिक पुत्र अल्ला रक्खा निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज बदायूँ।

3. तफ्शीर पुत्र तनवीर निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज बदायूँ।

4. हबीब पुत्र हमीद पठान निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज बदायूँ।

5. कासिम पुत्र मौ0 मियाँ निवासी शास्त्री गली कस्बा व थाना आंवला बरेली।

पुलिस मुठभेड में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

1- शानू पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज बदायूँ

पुलिसल मुठभेड के बाद फरार अभियुक्त—

1- राशिद उर्फ टुईया पुत्र हामिद अंसारी निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज बदायूँ

नाम पता वांछित अभियुक्त-

आसिफ पुत्र नामालूम निवासी दरावनगर थाना आंवला जिला बरेली हाल निवासी यामीन गाडी वाले का मकान रामलीला ग्राउन्ड के पास कस्बा व थाना आंवला बरेली।

फऱार अभियुक्त की तलाश जारी है।

घटनास्थल, दिनांक व समय-

1.अभि0 शानू ग्राम उरैना के अगेई जंगल से दि031-03-2024 समय लगभग 02:00 बजे।

2.अभि0गण वसीम 05 नफर अदि ग्राम हतरा के मनवा रोड से दि0-30-03-2024 समय रात्री 08:30 बजे।

विवरण बरामदगी-

01अदद तमंचा315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व नाल मे फंसा एक खोखा , पास पडे 03 खोखा कारतूस , एक मोटर साइकिल स्पेलेन्डर काला रंग बिना नम्बर।

05 अदद छुरी, 02 अदद बांका, 01 अदद रस्सा, 04 अदद रस्सी, एक अदद लकडी का गुटका, एक अदद तराजू व 6 अदद बाट, एक अदद टार्च, 03 अदद प्लास्टिक के कट्टे, 04 अदद प्लास्टिक के थैले, 500 ग्राम काली पन्नी बरामद।

आपराधिक इतिहास- पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार (शानू उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 139/18 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।।

2. मु0अ0सं0 140/18 धारा 3/25 ए एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

3. मु0अ0सं0- 183/19 धारा 392/411 आईपीसी थाना वजीरगंज बदायूँ।

4. मु0अ0सं0 194/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

5. मु0अ0सं0 57/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

6. मु0अ0सं0 36/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

7. मु0अ0सं0 258/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

8. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

9. मु0अ0सं0 126/2024 धारा 307 आईपीसी व 3/25 1B(a) ए एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम वसीम थाना वजीरगंज बदायूँ।

2. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम शारिक उपरोक्त थाना वजीरगंज बदायूँ।

3. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम तफ्शीर उपरोक्त थाना वजीरगंज बदायूँ।

4. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम हबीब उपरोक्त थाना वजीरगंज बदायूँ।

5. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम कासिम उपरोक्त थाना वजीरगंज बदायूँ।

आपराधिक इतिहास फरार अभियुक्त - (राशिद उर्फ टुईया उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 270/16 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

2. मु0अ0सं0 163/19 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना वजीरगंज बदायूँ।

3. मु0अ0सं0 144/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

4. मु0अ0सं0 291/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

5. मु0अ0सं0 124/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।

6. मु0अ0सं0 126/2024 धारा 307 आईपीसी व 3/25 1B(a) ए एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ।